बिहार के दलित एवं महादलित समुदाय की राजनीति परिस्थिति का इतिहास : एक अध्ययन

डॉ. त्रयम्बकेश्वर कुमार

(इतिहास)

ग्राम – रघेपुरा, पो.–लहेरियासराय

थाना – बहादुरपुर,

जिला – दरभंगा (बिहार)

आलेखसार :–

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्ववाली एनडीए सरकार ने अनुसूचित जातियों में अत्यन्त कमजोर जातियों को महादलित श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए 2007 में राज्य महादलित आयोग का गठन किया था आयोग ने राज्य की कुल 22 अनुसूचित जातियों में से बिहार की 21 अनुसूचित जातियों को महादलित के रूप में मान्यता दी है।

राज्य महादलित आयोग–बिहार सरकार द्वारा स्थापित एक सरकारी निकाय है जिसका उद्धेश्य अनुसूचित जातियो में उन जातियो की पहचान करना है जो विकास प्रक्रिया में पिछड़ गई हे और शैक्षिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने उनके उत्थान के लिए उपाय सूझाना है। आयोग की स्थापना 2007 मे की गई थी। आयोग ने दो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग ने 18 जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में अत्यंत कमजोर जातियों के रूप में शामिल करने की सिफारिश की है। बाद में इसने चमार जाति को भी महादलित श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (मकटूमपुर से विधायक) ने पासवान जाति को महादलित वर्ग में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस मंजूरी के बाद अब बिहार में दलितो का असली नेता कौन होगा।

बिहार में दलित राजनीति मुख्य रूप से मुख्यधारा के रानीतिक दलों से ''अच्छे सौदे'' के लिए बातचीत की राजनीति रही है। ''अच्छे सौदे'' का मतलब सता में या विपक्ष में, चुनाव पूर्व गठबंधन में सीटों और सरकार में हिस्सेदरी के मामले में पार्टियो से अच्छा सौदा करना था। बदले में, जाति और समुदाय के वोटों के हस्तांतरण का वादा किया गया था। बिहार में बातचीत की राजनीति का चमचा युग कहा था। आजादी के बाद के दशकों में कांग्रेस और जनता पार्टी में दलित नेताओ को जाति या समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर सत्ता में भागीदारी मिली। भोला पासवान शास्त्री और राम सुन्दर दास जैसे दलित नेता जमीनी स्तर से उठकर बिहार के मुख्यमंत्री बने। शास्त्री और दास दोनो ही मुख्यधारा की राष्ट्रीय पार्टियो से जुड़े थे। बिहार में दलित राजनीति मुख्यधारा की पार्टियो पर निर्भर है। बिहार में दलित राजनीति में अंबेडकरवादी कट्टरपंथी चेतना कमजोर हे और बिहार में दलित एवं महादलित समुदाय की वर्तमान राजनीति का जमीनी स्तर पर दलितो की दावे दारी कमजोर बनी हुई है।

मुख्य शब्द :– दलित, महादलित, पंचायतीराज, आरक्षण, आयोग शिक्षा, 1970, 1990, 2005।

सारांश :–

आज बिहार में दलित वर्ग के सामाजिक स्तरो में समानता लाने की तलाश मे जारी है। 1990 के बाद जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तब दलितो की स्थीति में अपेक्षित सुधार हुआ। संसद एवं बिधानसभा में दलितों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। जहॉ तक 1970 से लेकर 1990 के बीच दलितो की स्थिति में काफी सुधार हुआ। नीतिश कुमार की सरकार 2005 में बनी तब से उनके द्वारा महादलित आयेग का गठन, विकास मित्र की बहाली, पंचायती राज व्यवस्था मे महिलाअें, दलितो, अतिपिछड़ो, पिछड़ो को आरक्षण देकर उनकी आवाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया हे। बिहार मे दलितोत्थान के प्रयास में बाबा साहेब अम्वेडकर का भी अभीष्ट प्रभाव पड़ा अखिल भारतीय परिगणित जाति संघ के अध्यक्ष के :प में अम्बेडकर ने पहली बार 1957 ई. बिहार का दौरा किया था। 6 नवम्बर को वे पटना पहुँचे, उनके साथ उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर एवं परिगणित जाति संघ के महामंत्री पी.एन. राजभोज भी थे पटना गॉधी मैदान में उनका भव्य स्वागत हुआ। विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा–मुझे इस बात से खुशी है कि महात्मा बुद्ध की पवित्र भूमि पर सामाजिक क्रान्ति का बीज फिर से अंकुरित हो गया है।

प्रस्तावना : –

वर्तमान बिहार विधानसभा में दलित प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निर्वाचित सदस्यों ने जुझारूपन का परिचय दिया। 1990 के बाद जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तब दलितों की स्थिति में अपेक्षित में अपेक्षित सुधार हुआ। संसद एवं विधानसभा में दलितों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। जहॉ तक 1970 से लेकर 1990 के बीच दलितो की स्थिति में काफी सुधार हुआ, नीतिश कुमार की सरकार 2005 में बनी व से उनके द्वारा महादलित आयोग का गठन, विकास मित्र की बहाली, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं, दलितो, अतिपिछड़ो, पिछड़ो को आरक्षण देकर उनकी आवाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। दलित छात्र–छात्राओं को छात्रवृति, निरूशुल्क कोचिंग आदि की व्यवस्था करने। दलितो को रेडियो, उनके टोले में रोड निर्माण, उनके लिए आवास बनाने का कार्य किया। सारे कॉलेज में आरक्षण लागू होने से उनकी शिक्षा दृ दिक्षा में प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। अब तो लोग उनसे छुआछुत नही करते, हर क्षेत्रों मे अनुसूचित जाति के लोग आए है।

दलितो को जो आरक्षण का लाभ मिला उसे तो दुसाध, चमार, धोवी, एवं पासी जाति के लोगो ने आगे बढ़कर लाभ उठा लिया, इन जातियो की आर्थिक स्थिति बेहत्तर थी और इन्होने आधुनिक शिक्षा का भरपुर लाभ उठाया था। उनके पेशा ने उन्हे शहरो में बसने के लिए प्रेरित किया जहॉ इन्हे जीवको पार्जन के अच्छे अवसर मिले। आरक्षण का लाभ इन्ही लोगो तक सिमट कर रह गया। यह हुनर मुसहर, मेहतर, भंगी या अन्य र्निधन लोगो तक नही पहुँच पाया फलतरू वे पहले की तरह गरीब और असहाय बने रहें, उनकी सामाजिक हैसियत भी पूर्वतत् रही, इन्ही को देखते हुए नीतिश कुमार की सरकार ने महादलित आयेग बनाने की जरूरत समझी, क्योकि सदियों से दलितों के साथ न्याय नही हुआ है। आधुनिक काल में वे अब बर्दाशत की स्थिति में नही है। जब इनके एवं परिवार की साथ सामाजिक दुर्व्यवहार, अत्याचार, उपेक्षा, अनादर होता है तब वे न्याय की गुहार पंचायत से लेकर न्यायालय तक अवश्य करते हे, किन्तु इन्हे सफलता नही मिलती है। इनके पूर्वज इस तरह के अव्याहार का जिम्मा भगवान के उपर छोड़ देते थे किन्तु अब वे अपने प्रतिशोध का बदला स्वयं लेने लग गये है और ऐसा संगठन कायम कर लिए है जिससे सामंती ताकतो का मुकाबला कर सके। इसी का परिणाम है कि भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक रूपों में इनका संगठन देखने को मिलता है जैसे असम में उल्फा, बिहार, आंध्रप्रदेश, छतीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखण्ड आदि राज्यों में एमसीसी एवं पीपुल्स बार ग्रुप, आज भी दलितो की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नही हुआ है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।(2)

बिहार में 1990 के दशक के बाद जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो लगा कि दलितो के बुरे दिन लद गए और अच्छे दिन आने के आगाज हो गए तथा नीतीश कुमार को जिस उम्मीद से मुख्यमंत्री के रूप में दलित, शोषित वर्गो ने वोट देकर बैठाया उस पर वे इन वर्गो के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की ठानी तथा सभी योजना को पहले पर्दे पर लाने का प्रयास किया इसमें सफलात पूर्णतरू तो नही मिली लेकिन इसमें सफलता मिलती हुई प्रतीत जरूर हो रही है। आज बिहार में दलित वर्ग के सामाजिक स्तरों में समानता लाने की तलाश में जारी है।

आजादी के उपरांत बिहार में दलितोत्थान के प्रयास में बाबा साहेब अम्बेडकर का भी अभीष्ट प्रभाव पड़ा, अखिल भारतीय परिगणित जाति संघ के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने पहली बार 1957 ई० में बिहार का दौरा किया था 6 नवम्बर को वे पटना पहुँचे, उनके साथ उनकी पत्नी सहित अम्बेडकर एवं परिगणित जाति संघ के महामंत्री पी. एन. राजभोज भी थे, पटना गॉधी मैदान में उनका भव्य स्वागत हुआ। विशालजन सभा को समबोधित करते हुए उन्होने कहा –मुझे इस बात से खुशी है कि महात्मा बुद्ध की पवित्र भूमी सामाजिक क्रान्ति का बीज फिर से अंकुरित हो गया है। यह वही स्थान है जहाँ से ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में फैला है। देश के शोषित संगठित हो और आगे बढ़े, वर्ण–व्यवस्था और जाति–प्रथा के कारण शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यको को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सुबिधाओं से वंचित रहना पड़ता है। हिन्दूओ की वर्तमान सड़ी–गली सामाजिक व्यवस्था का मूलोच्छेद कर जब तक नये समाज का निर्माण नही हो जाता तब तक समाज के पिछड़े वर्गो के लोगो, पीड़ितो, दलितो एवं आदिवासियों का कल्याण नही हो सकता, आप हम पर मुख्यअपेक्षी ने होकर अपनी शक्ति को पहचाने तथा समाज में गौरब पूर्ण स्थान बनाकर देश की राजनीति एवं शासन संबंधी कार्यो में बढ़–चढ़कर भाग ले, मुट्ठी भर लोगो द्वारा परिगणित जाति के लोगो को उनके पैरो के तले दबे रहने का जमाना लद चुका, अम्बेडकर ने कहा–भारतीय संविधान में समस्त भारतीयो को सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है कि अब हम इस अन्याय को बरदास नही कर सकते, देश में हम दलित, पिछड़ो, शोसितों और शूद्रो की संख्या 90 है। देश की शासन सत्ता हम अपने हाथ मे ले लेगें, जिस प्रकार विदेशो में सामाजिक अत्याचार का विरोध किया गया उसी तरह हमें भी अपनी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का मूलोच्छेद कर देश का नवनिर्माण करना है। इसके लिए शिक्षित हो, संगठित हो और संधर्ष के लिए

आगे बढो, कायर बार बार मरता है किन्तु वीर पुरूष कभी नही मरता है। उन्होने दलितो से आहवान किया कि तुम्हें खुद से मजबूत बनना होगा। नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा।(3)

बिहार सरकार ने शुरू से ही दलितों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया 13 नवम्बर 1953 को निश्चय किया गया कि जिन सेवाओ और पदो पर राज्य स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियॉ की जाएँगी उनमें अनुसूचित जातियो के लिए 12 रिक्तियॉ आरक्षित रहेगी। 1956 ई० में बिहर सरकार ने अपनी एक अधिसूचना के द्वारा पूरे प्रान्त में 21 जातियों को अनुसूचित जातियो का दर्जा प्रदान किया, ये जातियँ थी दृ बांतर, बाउरी, भेगता, चमार या मोची, चौपाल, दबंगा, धोबी, डोमयाथांगर, दुसाध, धोबी, हलखोर, हारी, मेहतर या भंगीद्ध, कंज, कुर्रयियार, लालबेगी, मुसहर, नटपान या स्वासी, पासी, रजवार और तूरी, भूमिज को पटना और तिरहुत प्रमण्डल में तथा मुंगेर, भागलपुर, पालमू, और पूर्णिया जिले में अनुसूचित जाति माना गया, भूईया को पटना, जहानाबाद, गया और पलामू जिलो में अनुसूचित जाति माना गया, 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के परिदृश्य बदल गये, उसके बाद जीतने भी चुनाव हुए दलितो, पिछड़ो की संख्या बिहार विधानसभा में बढ़ता गया, और दलितो को मंत्रिमंडल में उचित स्थान मिलता गया, 1977 के भारत के लोकसभा और बिहार विधानसभा के चुनाव यादगार साबित हुए। जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गए। और 1977 की जनता पार्टी की सरकार में उपप्रधानमंत्री बन गए, बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान ने रिकर्ड मत से जीत हासिल किया। 1979 ई० में रामसुन्दर दास बिहार के मुख्यमंत्री बने इसके पहले भी भोला पासवान शास्त्री कोरहा से विधायक रहे व बिहार के पहले दलीत वर्ग के मुख्यमंत्री थे वे पहली बार अस्थिर चौथा बिहार विधान सभा में 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक 99 दिन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से थे। पुनरू वह दुसरी बार 22 जून 1969 से 4 जूलाई 1969, तीसरी वार 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972, 221 दिन तक एवं राम सुन्दर दास सोनपुर के विधायक रहे व 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980, 302 दिन के लिए जनता पार्टी एवं जीतन राम मांझी मकटूमपुर से विधायक व 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक 278 दिन के लिए।

बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने उनके कार्यकाल में अनुसूचित जातियो के उपर जूल्म को देखते हुए हरिजन थाना की स्थापना हुई। दलितो के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाया गया है यथा हरिजन छात्रावास, छात्रवृति बर्गरह। बिहार में दलित से महादलित बनने की प्रक्रिया चली इसमें राजनीति हावी हो गई वरना महादलितो का चुनाव कर उनके विकास के लिए कदम उठाने की अभी भी जरूरी है। बिहार सरकार ने महादलित के रूप में जिन वर्गो का चुनाव किया वे है– 1. चमार 2. मुशहर 3. पासी 4. धोबी 5. भूईया 6. रजवार 7. डोम 8. बंतर 9. चौपाल 10. कंजर 11. कुदैरिया 12. भोकता 13. दबगार 14. बौरी 15. लालबेगी 16. घरनी 17. पान 18. नट 19. तुरी 20. हलखोर 21. भउरी. यह सुची महादलितो की है जिसको समाज के मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जा रहे है। यह वर्ग अपनी पहचान खोने पर था जहॉ से नीतीश कुमार ने इसको मुख्यधारा में लाने का कार्य किया है(4)

इससे 1990 के दशक के उपरांत से 2005 तक आते–आते अन्य दलित जातियो में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था, लेकिन वे चाहकर भी कुछ विशेष नही कर पा रहे थे। आगे चलकर 2005 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमर ने बिहार की राजनीति के इतिहास में सबसे पहले महादलित के लिए आवाज उठायी और उन्हे उनके वोट की कीमत का बोध कराया। अपने पॉच वर्ष के कार्यकाल में श्री नीतीश कुमार ने महादलितों के समाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम बनाया था इसे सुचारू रूप से क्रियान्वित किया गया। दूसरे राजनेताओं से अलग नीतीश कुमार ने महादलितों की स्थिति में सुधार के लिए एक महादलित आयोग का गठन किया, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 18 महादलित–बन्तर, वौरी भोक्ता, चौपाल, दबगर, डोम, घासी, हलखोर, हरी, कन्जर, कुरैरिया, लागवेगी मुशहर, नट, पन, राजवार, और तुरी– को चिन्हित किया है। इसके अतिरिक्त तीन और जाति को महादलित में शामिल किया गया है। ये है दृ धोबी, पासी, और चमार। इस आयोग ने महादलित की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी तक इन जातियो का न तो कोई भी शिक्षक उच्च विद्यालय में कार्यरत है और नही महाविद्यालयों में कार्यरत है और नही अच्छे पदों पर आसीन है। अतरू इनके विकास के लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाने चाहिए ताकि इनका विकास हो सके और उनकी स्थिती सुधार हो सके।

पिछले पॉच साल के कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार सरकार ने महादलितो के उत्थान के लिए व्यापक योजनाऍ तैयार की और उनपर ईमानदारी पूर्वक अमल किया। इनके लिए आरक्षण की विशेष सुविधा देकर आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है।

महादलितों तक सभी योजनाओं को पहुँचाने के लिए विकास मित्रों का नियोजन किया गया है। महादलितों के विकास के लिए 3 अरब का विशेष पैकेज भी दिया गया है। अतरू यह विचारणीय है कि वे कौन सी परिस्थितियॉ रहीं हैं जिनके चलते बिहार की राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति के 58 वर्ष बाद तक यानी 2005 तक न तो महादलित शक्ति का उभार हो पाया और ना ही वह अपनी पहचान बना पायी। किन्तु आज किन कारणों से कौन–कौन सी परिस्थितियॉ उत्पन्न हो चुकी है जिनके चलते महादलित बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में इन प्रश्नो की बारीकी से छानबीन की जाएगी।(5)

हाल के वर्षों में बिहार की राजनीति में दलित उत्कर्ष या दलितों की भूमिका को लेकर कुछ महत्वपूर्ण काम हुए है। उदाहरण के लिए आर.एल.चन्द्रापुरी की पुस्तक 'भारत में ब्राह्मणराज एवं पिछड़ा वर्ग आन्दोलन' पटना 1996, राजकिशोर की पुस्तक 'हरिजन से दलित' वाणी प्रकाशन, दिल्ली 2004 अभय कुमार दुबे की पुस्तक 'आधुनिकता के आइने में दलित' दिल्ली 2002 संजय कुमार की पुस्तक 'दलित– उद्भवा एवं विकास', पटना 2009 को देखा जा सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति में महादलित का उद्भव तथा दशा एवं दिशा पर कोई शोध या लेख प्रकाशित नहीं हुआ है। बहरहाल कोई अध्ययन अंतिम नहीं होता और न अन्य अध्ययनों का निषेध करता हे। अतीत में किये गये अध्ययन भावी पीढि़यों को दृष्टि देते हैं और उन्हें अनेक अनछुये प्रसंगों पर काम करने को प्रेरित करते हैं। एक गंभीर अध्ययन अन्य अनेक अध्ययनों की पृष्ठभूमि तैयार कर ही अपनी सार्थकता पाता है। प्रस्तुत शोध–प्रबंध इसी आभाव को पूरा करने का एक प्रयास है।

श्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति मे सबसे पहले महादलित के लिए आवाज उठायी, इनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कार्यक्रम तय किए और इनको विकास के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। परिणाम यह हुआ कि दलितों में अत्यधिक पिछड़े (महादलित) जो सुसुप्तावस्था में थे बिहार की राजनीति में एक सशक्त कारक बनकर उभरे हैं। श्री नीतीश कुमार के पिछले 8 वर्ष के शासनकाल में सरकार ने महादलितों के विकास के लिए जो नीति निर्धारित की है उससे वे मुख्यघरा में आ गये हैं और उनके दशा और दिशा पर ब्यापक चर्चा होने लगी है। इस दृष्टिकोण से यह प्रबन्ध पूरी तरह औचित्यपूर्ण है।(6)

अंततरू कहना न हेागा कि अम्बेदकर हो या गांधी, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या फिर नीतीश कुमार, उन सभी ने व्यक्ति को महत्व दिया। उनके सम्मान के लिए योजनाओं का निर्धारण किया है। वह पानी की समस्या हो या रोजगार की, सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की भलाई के लिए सत्ता परिवर्तन ही नहीं हुआ बल्कि व्यवस्था परिवर्तन भी हुआ। महादलितों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी मिली। इन महादतिों ने बिहार की राजनीति के दशा और दिशा को प्रभावित किया है।

संदर्भ

1. महात्मा गॉधी, रिमूवल औफ अनटचौबिलीटी नवजीवन पब्लिकेशन अहमदाबाद, 1949, 92
2. नेसफील्ड, 'जर्नल ऑफ गाड्रेन हिस्ट्री'. 1993, 69–89
3. एन. के. दत्त. द ओरिजन एण्ड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, पृ.173
4. टी. बी. वोटोमोर, अनुसूचित जाति और जनजातीय राजनीति, 1966. 25
5. धूरिद्र, कास्ट एण्ड रेस इन इंडिया, पोपुलर प्रकाशन, 1069, 504
6. राम शरण शर्मा, शूद्रों का प्राचीन इतिहास, 1992. पृ. 33